



LIC IPO से पहले FDI नीति में सुधार

प्रलिस के लिये:

प्रत्यक्ष निवेश, इनशियल पब्लिक ऑफरिंग।

मेन्स के लिये:

LIC निवेश में FDI को 20% तक बढ़ाने का महत्व।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने प्रस्तावित 'इनशियल पब्लिक ऑफरिंग' (IPO) से पहले 'जीवन बीमा निगम' (LIC) में 'स्वचालित मार्ग' के तहत 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (FDI) को 20% तक बढ़ाने की अनुमति देने हेतु 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' नीति में संशोधन को मंजूरी दी है।

- सरकार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिये अपने 78,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य को पूरा करने हेतु प्रस्तावित शेयर बिक्री से 63,000-66,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है।
- LIC पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। भारत के बीमा कारोबार में इसकी सबसे बड़ी हिससेदारी है।
- अधिकांश संदर्भों में निवेश आमतौर पर सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की आंशिक रूप से या पूरी तरह से सरकारी बिक्री को संदर्भित करता है। एक सरकारी संगठन आमतौर पर एक रणनीतिक कदम के रूप में या सामान्य/वशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने हेतु संसाधन जुटाने के लिये एक परसिंपत्तिका निवेश करता है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' नीति 'भारतीय बीमा निगम' में विदेशी निवेश के लिये कोई वशिष्ट प्रावधान निर्धारित नहीं करती है। 'भारतीय बीमा निगम' LIC अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है।
- यह नीति बीमा कंपनियों और बीमा क्षेत्र में बच्चिलियों या बीमा मध्यस्थों को एफडीआई की अनुमति देती है।
- सरकारी अनुमोदन मार्ग पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये FDI की सीमा 20% है।
 - जबकि सरकार ने पिछले वर्ष बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी थी, लेकिन इसमें LIC को कवर नहीं किया गया था, जो एक वशिष्ट कानून द्वारा शासित है।
- चूंकि LIC इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती है और LIC अधिनियम के तहत LIC में विदेशी निवेश के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं है, सरकार ने LIC और अन्य कॉर्पोरेट निकायों के लिये 20% तक विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
- पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु इस तरह के FDI को स्वचालित मार्ग के तहत रखा गया है।

इस कदम का महत्व:

- FDI नीति में सुधार से LIC और अन्य कॉर्पोरेट निकायों में विदेशी निवेश की सुविधा प्राप्त होगी।
- LIC के लिये FDI नीति में बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि सार्वजनिक पेशकश के लिये सदस्यता लेने के दौरान विदेशी निवेशकों को किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े।
- इस सुधार से व्यापार करने में आसानी होगी और FDI प्रवाह में वृद्धि होगी तथा साथ ही FDI नीतिके समग्र उद्देश्य के साथ संरेखण भी सुनिश्चित होगा।
- बढ़ी हुई FDI अंतर्वाह, आत्मनिर्भर भारत के कार्यान्वयन का समर्थन करने हेतु घरेलू पूंजी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, त्वरित आर्थिक विकास के लिये कौशल विकास व सभी क्षेत्रों में विकास को पूरक बनाएगी।
- FDI की अनुमति देने से यह सुनिश्चित होगा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वितीयक बाजार में शेयर खरीदने में सक्षम हैं। यह निवेशकों को सकारात्मक संकेत भी देता है।

भारत में FDI अंतरवाह की स्थितिक्या है?

- भारत में FDI प्रवाह वर्ष 2014-2015 में 45.15 बलियिन अमेरिकी डॉलर था और वत्तित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यह बढकर 81.97 बलियिन अमेरिकी डॉलर हो गया, जज्ञात हो क यह स्थत्तिकोवडि-19 महामारी के बावजूद है, साथ ही यह पछिले वत्तित्तीय वर्ष 2019-20 (74.39 बलियिन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 10% अधकि है।

PYQ

भारत में प्रत्त्यक्ष वदिशी नविश के संदरभ में नभिनलखिति में से कौन-सी एक इसकी प्रमुख वशिषता मानी जाती है? (2020)

- A. यह एक सूचीबद्ध कंपनी में अनविरय रूप से पूंजी उपकरणों के माध्यम से नविश है।
- B. यह बड़े पैमाने पर गैर-ऋण पूंजी प्रवाह है।
- C. यह एक ऐसा नविश है जसिमें ऋण-सेवा शामिल है।
- D. यह वदिशी संस्थागत नविशकों द्वारा सरकारी प्रतभूतियों में कया गया नविश है।

उत्तर: A

भारत में 'प्रत्त्यक्ष वदिशी नविश'

■ प्रत्त्यक्ष वदिशी नविश:

- FDI एक ऐसी प्रक्रया है जसिके तहत एक देश (मूल देश) के नविासी कसी अन्य देश (मेज़बान देश) में एक फर्म के उत्पादन, वतिरण और अन्य गतविधियों को नयितरति करने के उद्देश्य से संपत्तिका स्वामत्त्व प्राप्त करते हैं।
- यह वदिशी पोर्टफोलियो नविश (FPI) से भन्न है, जसिमें वदिशी इकाई केवल एक कंपनी के स्टॉक और बॉण्ड खरीदती है कति इससे FPI नविशक को व्यवसाय पर नयितरण का अधकिार प्राप्त नहीं होता है।
- FDI के प्रवाह में शामिल पूंजी कसी उद्यम के लयि एक वदिशी प्रत्त्यक्ष नविशक द्वारा (या तो सीधे या अन्य संबंधित उद्यमों के माध्यम से) प्रदान की जाती है।
- FDI में तीन घटक- इक्वटी कैपिटल (Equity Capital), पुनरनिशति आय (Reinvested Earnings) और इंटरा-कंपनी लोन (Intra-Company Loans) शामिल हैं।
- इक्वटी कैपिटल वदिशी प्रत्त्यक्ष नविशक की अपने देश के अलावा कसी अन्य देश के उद्यम के शेयरों की खरीद से संबंधित है।
- पुनरनिशति आय में प्रत्त्यक्ष नविशकों की कमाई का वह हस्सा शामिल होता है जसि कसी कंपनी के सहयोगियों (Affiliates) द्वारा लाभांश के रूप में वतिरति नहीं कया जाता है या यह कमाई प्रत्त्यक्ष नविशक को प्राप्त नहीं होती है। सहयोगियों द्वारा इस तरह के लाभ को पुनरनिशति कया जाता है।
- इंटरा-कंपनी ऋण में प्रत्त्यक्ष नविशकों (या उद्यमों) और संबद्ध उद्यमों के बीच अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधार व नधियों का उधार शामिल होता है।

■ भारत में FDI आने का मार्ग:

- **स्वचालति मार्ग:** इसमें वदिशी इकाई को सरकार या भारतीय रज़िर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
- **सरकारी मार्ग:** इसमें वदिशी इकाई को सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है।
- वदिशी नविश सुविधा पोर्टल (FIFP) अनुमोदन मार्ग के माध्यम से आवेदकों को 'सगिल वडि क्लीयरेंस' की सुविधा प्रदान करता है। यह उद्योग और आंतरकि व्यापार संवर्द्धन वभिाग (DPIIT), वाणजिय एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

PYQ

नभिनलखिति में से कौन से भारत के 'प्रत्त्यक्ष वदिशी नविश' में शामिल होंगे? (2012)

1. भारत में वदिशी कंपनियों की सहायक कंपनियों।
2. भारतीय कंपनियों में अधकिंश वदिशी इक्वटी होल्डिंग।
3. वदिशी कंपनियों द्वारा वशिष रूप से वत्तितपोषित कंपनियों।
4. पोर्टफोलियो नविश।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- A. 1, 2, 3 और 4
- B. केवल 2 और 4
- C. केवल 1 और 3
- D. केवल 1, 2 और 3

स्रोत: द हट्टु

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reforms-in-fdi-policy-ahead-of-lic-ipo>

